Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) ____________________

   (Name) ____________________

2. (Signature) ____________________

   (Name) ____________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No. ____________________

(In words)

Test Booklet No.

J—6805

PAPER—III

Time : 2½ hours]

CRIMINOLOGY

[Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet : **36**

Number of Questions in this Booklet : **26**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Test booklet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc. is prohibited.**
10. **There is NO negative marking.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
   (ii) **कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ / प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले ले। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।**
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. **केवल नीले / काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें।**
9. **किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।**
10. **गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।**

CRIMINOLOGY

अपराधशास्त्र

PAPER—III

प्रश्न-पत्र—III

NOTE: **This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given herewith.**

नोट : **यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंको का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।**

SECTION - I

खंड – I

NOTE: **This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.**

(5x5=25 Marks)

नोट : **इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंको का है।**

(5x5=25 अंक)

Probation is viewed as the bright hope for the future of corrections. It is generally conceded, however, that the full potential of this alternative to imprisonment cannot be reached without some effort to fulfill two major needs :

1. Development of an effective system to determine which offenders should receive probation.
2. Provision of support and services to probationers out in the community to allow them to live independently in a socially accepted way. To achieve these goals, probation services should be organised, staffed and funded properly. The shifting of money and resources to the efforts of Community-based projects is necessary to make probation a viable alternative. The National Adivisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals has recommended the national use of probation as the most desirable disposition, preferably without adjudication of guilt. It has also recommended that probation, which started on a volunteer basis, seek out volunteers to serve in all capacities.

– Allen and Friday

सुधारों के भविष्य के लिए परिवीक्षा को दीप्त आशा के रूप में देखा जाता है। तथापि, सामान्यत: यह माना जाता है कि कारागृह में डालने के इस विकल्प की पूर्ण–शक्यता तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक दो प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्त्ति हेतु प्रयास न किए जायँ :

1. किस अपराधी को परिवीक्षा पर रखा जाय यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना।
2. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को सहारा देने तथा सेवाएँ प्रदान करने का प्रावधान ताकि वे सामाजिक रूप से स्वीकृ त तरीके से स्वावलंबी जीवन बिता सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिवीक्षा सेवाओं को सुव्यवस्थित करना तथा उनके लिए समुचित मात्रा में कर्मचारी तथा धन मुहैया कराना चाहिए. परिवीक्षा को एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वित्त तथा अन्य संसाधनों को समुदाय–आधारित परियोजनाओं की ओर मोड़ा जाय। अपराधिक न्याय मानको तथा लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सलाहकार आयोग ने, भरसक अपराध के न्याय–निर्णय के बिना, परिवीक्षा के राष्ट्र–स्तरीय प्रयोग की अनुशंसा एक सर्वाधिक वांछनीय व्यवस्था के रूप में की है। इसने यह सिफारिश भी दी है कि परिवीक्षा, जिसका आरंभ स्वयंसेवी आधार पर हुआ था, में विभिन्न हैसियतों से सेवा करने वाले स्वयं सेवकों की खोज करनी चाहिए।

– एलेन तथा फ्राइडे

1. What are the roles expected from volunteers for effective administration of probation ?
परिवीक्षा के प्रभावी प्रशासन में स्वयंसेवकों से किन भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है ?

2. What are the means of achieving the goals of probation according to the authors ?
लेखकों के अनुसार परिविक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या साधन है ?

3. What are the measures to be taken for fulfilling the two needs and thereby making probation more effective ?

पूर्वोल्लिखित दो आवश्यकताओं की पूर्त्ति तथा उसके द्वारा परीवीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कौन से उपाय हैं ?

4. What are the recommendations of the National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals regarding probation.

अपराधिक न्याय मानकों एवं लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सलाहकार आयोग द्वारा परिवीक्षा से संबंधित की गई अनुशंसाएँ क्या है ?

5. What are the measures you suggest for a probationer to live in a socially acceptable manner ?

एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से जीवन बिताने के लिए आप कौनसे उपाय सुझाएँगे ?

SECTION - II

खंड – II

NOTE: **This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks. (5x15=75 Marks)**

नोट : इस खंड में पाँच (5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30)शब्दों में अपेक्षित है। (5x15=75 अंक)

6. Explain Cyber crime.

साइबर अपराध की व्याख्या कीजिये।

7. Define the term Psychopath

'मनोविथिप्त' की परीभाषा दीजिये।

8. Explain anomic suicide.
एनोमिक आत्महत्या की व्याख्या कीजिये।

9. Define 'Criminal negligence' .
अपराधिक उपेक्षा की परीभाषा दीजिये।

10. Explain neurosis as a cause for crime.

मनोविक्षिप्तता की अपराध के एक कारण के रूप में व्याख्या कीजिये।

11. What is meant by 'hedonistic calculus' ?

'हेडोमिस्टिक कैलकुलस' से आप क्या समझते है ?

12. What is the significance of indeterminate sentence ?

अनिश्चित सजा का क्या महत्व हैं ?

13. Describe salient features of Cartographic School of Criminology.

अपराधशास्त्र के चित्रांकन सम्प्रदाय के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिये।

14. Explain 'Ego defence'.

'अहम् प्रतिरक्षा' की व्याख्या कीजिये।

15. What is the meaning of Withdrawal Symptom ?

विदड्रायल लक्षण का क्या अर्थ है ?

16. Who is a Juvenile Delinquent ?

बाल अपराधी कौन है ?

17. Explain the term Primary deviance.

'प्राथमिक विचलन' की व्याख्या कीजिये।

18. Define Vicarious liability.

प्रतिस्थानिक दायित्व की परिभाषा दीजिये।

19. Define 'Mens rea'.

मेंसरिया की परिभाषा दीजिये।

20. Explain the need for Victim Survey.

पीड़ित सर्वेक्षण की आवश्यकता की व्याख्या कीजिये।

SECTION - III
खंड – III

NOTE: **This section contains five (5) questions of twelve (12) marks each. Each question is to be answered in about 200 words.**

(12x5=60 Marks)

नोट : **इस खंड में बारह (12) अंकों के पाँच (5) प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।**

(12x5=60 अंक)

Paper-II

Section-II

21. Explain the contribution of Emile Durkheim in understanding crime in traditional and modern societies.

पारम्परिक एवम् आधुनिक समाजों में अपराध को समझने हेतु इमाइल दुर्खीम के योगदान की व्याख्या कीजिये।

22. Define white collar crime. Discuss the causes and consequences of white collar crime.

श्वेतवसन अपराध की परिभाषा दीजिये। श्वेतवसन अपराध के कारणों एवम् परिणामों की चर्चा कीजिये।

23. How far the "UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners" are effective ?

"संयुक्त राष्ट्र संघ के बंदियों के उपचार हेतु न्यूनतम मानक नियमों" की प्रभावशीलता कैसी है ?

24. What are the circumstances in which a person can be arrested by the Police. Can an accused be hand-cuffed ?

वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है ? क्या एक आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी पहनायी जा सकती हैं ?

25. Briefly analyse the role of National Human Rights Commission in the protection of the rights of the victims of abuse of power.

सत्ता के दुरूपयोग पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका की संक्षेप में चर्चा कीजिये।

SECTION - IV

खंड – IV

NOTE: **This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.**

(40x1=40 Marks)

नोट : **इस खंड में एक चालीस (40) अंको का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।**

(40x1=40 अंक)

26. How far the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is effective in the prevention and control of juvenile delinquency in India ? Explain the role of various agencies in the implementation of the Act.

बाल न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 भारत में बाल अपराधों के नियंत्रण व उन्मूलन हेतु किस सीमा तक प्रभावी है ? विभिन्न एजेन्सीस की भूमिका की व्याख्या इस कानून के लागू करने के विषय में कीजिये।

OR / अथवा

What are the various objectives of Punishment ? Explain to what extent the various prison reforms programmes have brought out changes in the positive direction.

दण्ड के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं ? विभिन्न प्रकार के कारागार सुधारात्मक कार्यक्रम किस सीमा तक सताकात्मक परिवर्तन लाये हैं ? व्याख्या कीजिये।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words) ....

(in figures) ....

Signature & Name of the Coordinator ....

(Evaluation) Date ....